न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 20/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू0अ0 मूसदा जिला–अजमेर

------वादी

ब ना म

1– श्री कालूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2– श्री चैनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
3– भंवरी पुत्री अर्जुन
4– नैनी पुत्री अर्जुन
5– बरजी पत्नि अर्जुन
6– रतना पुत्र पांचू
7– मिश्री पुत्र पांचू
8– नीरा पुत्र पांचू
9– बहादुर नाबालिग पुत्र पांचू जरिये वली माता श्रीमति मैथी
10– श्रीमति मैथी पत्नि पांचू
11– जयसिंह पुत्र रूपा जी
12– गुलाबसिंह पुत्र रूपा जी
13– श्रीमति धापू पत्नि रूपा जी
समस्त जाति रावत निवासी जसवन्तपुरा लेहरी तहसील मसूदा

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 29.12.2017

तहसीलदार मसूदा ने सारांशतः अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3779 रकबा 03–9–10 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसका मौका निरीक्षण किया गया जिसमें उक्त खसरा नंबर जिसका नाप 32.5 बाई 21 वर्ग मीटर गहराई औसतन 1 मीटर पाई गई में खनन का निर्गमन पाया गया चूंकि खातेदार द्धारा खातेदारी भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन (अवैध खनन) में किया गया है अतः धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही गई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी जयसिंह ने जवाब पेश कर निवेदन किया है, कि अप्रार्थी का कोई लेना देना व संबंध व सरोकार नही है, वही अवैध खनन भू माफियो द्धारा अप्रार्थी की जानकारी के अभाव में अप्रार्थी की खातेदारी भूमियो से अवेध खनन किया गया है। जिस हेतू पूर्व में अप्रार्थी ने कई बार जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर प्रार्थना पत्र देकर अवेध रोकने हेतू निवेदन भी किया गया है, अप्रार्थी गरीब श्रेणी का व्यक्ति है, तथा कमाने के हिसाब से अक्सर राजस्थान से बाहर रहता है। अप्रार्थी की खातेदारी में अवेध खनन होने से अप्रार्थी को कत्तई जिम्मेदारी नही ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त नोटिस काल्पनिक तथ्यो का पेश कर दिया गया है के कारण उक्त कार्यवाही निरस्तनीय है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमियो के कोई चारदीवारी नही हो रखी है, वहां पर कोई भी आ जा सकता है, वही वर्णित भूमियां अप्रार्थी तथा अप्रार्थी के कमाने खाने के हिसाब से बाहर चले जाने से काफी लम्बे समय तक अपनी उक्त भूमियो पर आ जा भी नही सकता है। अप्रार्थी धापू का देहान्त हो गया है, गुलाबसिंह कमाने खाने के लिये बाहर विदेश इरान गया है। अतः अप्रार्थी के जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जावे।

अप्रार्थी चैनसिंह ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि उपरोक्त प्रकरण में खसरा नंबर 3779 रकबा 03–09–10 में हमारे सहखातेदार जयसिंह व गुलाब पुत्र रूपा द्धारा अवेध खनन किया जा रहा है जिसकी शिकायत श्रीमान् को समय समय पे दी गई है। अप्रार्थी चैनसिंह द्धारा किसी भी प्रकार से कोई खनन नही किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में हमारी कृषी भूमि अविभाजित है, एंव राजस्व रेकार्ड में हमारे बंटवारा नही हो रखा है। अतः उपरोक्त

प्रकरण में बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र एवं जवाबदावा अनुसार ही रहे। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि खनि अभियन्ता ब्यावर ने तहसीलदार मसूदा को दिनांक 16.02.2017 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कथन किए हैं कि ग्राम जसवंतपुरा लहरी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3779 जो कि कालूसिंह, चैनसिंह पुत्र अर्जुन, भंवरी, नेनी पुत्रियां अर्जुन, बरजी पत्नी श्री अर्जुन रत्ना, मिंश्री, नीरा वगैरहा जाति रावत निवासी लहरी के नाम दर्ज है का मौका निरीक्षण किया जिसमें उक्त खसरा में एक खनन पिट में खनिज फैल्सपार (कांटी) का खनन कर निर्गमन होना पाया जाने का रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा खातेदारों द्वारा खातेदारी भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ (अवैध खनन) में किया गया है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2017 में भी खसरा संख्या 3779 में अवैध खनन किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 31 में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 3779 रकबा 03–09–10 किस्म बारानी 3 कालूसिंह चैनसिंह पिता अर्जुन भंवरी नैनी पुत्रियां अर्जुन बरजी पत्नी अर्जुन रतना मिश्री नीरा बालिग बहादुर नाबालिग बसरबराही मैथी वाल्दा खुद पत्नी पांचू जयसिंह गुलाबसिंह पि. रूपा धापू पत्नी रूपा कौम रावत सा. देह मजरा लहरी खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3779 रकबा 03–9–10 किस्म बारानी–3 में उक्त कृषि भूमियों का बिना संरपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का उक्त कृत्य राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने एवं भूमि अवैध खनन करवाया जाकर भारी मुनाफा कमाने का जरिया एवं खनन माफियाओं को बढावा देने की नियत से यह कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। तथा साथ ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमियों को सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मसूदा ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार हल्का खरवा प्रथम में स्थित भूमि खसरा नंबर 3779 रकबा 03–9–10 किस्म बारानी–3 को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित करते हुए कब्जा सरकार के तहवील में लेवे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 17:00:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: